

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

क्रमांक:- राजस्व/2023/ 17

दायर दिनांक 24/01/2023

उनवान:- फूबाई बनाम राज० सरकार जयें तहसीलदार रायपुर  
धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :- दिनांक 24/01/2023

प्रार्थीया फूलबाई पत्नि हीरालाल जाति मेघवाल नि० पालखन्दा तहसील रायपुर जिला झालावाड़ के तरमीम दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दरतावेजों/रेकार्ड व पटवारी हत्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायपुर की अनुशसा के आधार पर के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रायपुर पटवार मण्डल रायपुर तहसील रायपुर की आराजी खसरा नम्बर 794/3 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि को वर्तमान में दर्ज तरमीम को तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा अनुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम रायपुर पटवार मण्डल रायपुर तहसील रायपुर	794/3 रकबा 0.2529 हैक्टेयर	तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार	तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार

संलग्न:- नजरी नक्शा किता-1

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) दिनांक 24/01/2023

क्रमांक:- राजस्व/2023/ 17  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार रायपुर को आदेश प्रति भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/तरमीम शुद्धि किया जाना सुनिश्चित करें।



उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

